संख्याः 14/17/31 तिथिः 27/11/2023 पावती समयः 10:15 PM

अतारांकित प्रश्न

विषय :- खेतों में पाइपलाइन डालने हेतु प्रावधान बारे |

मंत्री:- श्री मनोहर लाल

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-

प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला(42), सदस्य

सेवा में:

सचिव

हरियाणा विधान सभा

Delhi-1

महोदय,

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे कि :

श्रीमान जी,

क.) एक खेत से दूसरे खेत में पाइपलाइन ले जाने हेतु क्या प्रावधान है |

ख.) अगर बीच में आने वाले खेतों द्वारा इस प्रकार की पाइपलाइन को रोका अथवा क्षति की जा जाती है तो उक्त दोषियों पर कार्रवाई हेतु क्या प्रावधान है |

ग.) इस प्रकार की पाइपलाइन हेतु जिले में संबंधित अधिकारी किसे माना गया है और आवेदन देने के बाद कितने समयसीमा में विभाग द्वारा परमिशन दी जानी चाहिए |

भवदीय

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला(42)

27/11/2023 10:15 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE